83/2016

श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 83/2016 अनवानी रामचन्द्र गुप्ता निवासी जागृति मंच नजदीक श्री गणेश मंदिर ढिल्लो कालोनी हनुमानगढ जंक्शन बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा

21–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र गुप्ता उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र गुप्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.03.2016 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. गणतन्त्र दिवस व स्वतन्त्रता दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों (नियमों) के दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध कराये।
2. अधिकारियो को उक्त प्रशस्ति पत्र किसी एक कार्य के लिये दिया जाता है या वर्षभर के कार्य के लिये दिया जाता है।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त 2 बिन्दुओ की सूचना सामान्य शाखा द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना कर विलम्ब किया जा रहा है। उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं विलम्ब के कारणो की जांच की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3638 दिनांक 18.05.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के रजि0 पत्र सं0 2816 दिनांक 30.03.2016 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवा दी गई थी।

प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 2816 दिनांक 30.03.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

बिन्दू सं.	सूचना	उत्तर
1.	गणतन्त्र दिवस व स्वतन्त्रता दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों (नियमों) के दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध कराये।	उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करने हेतु जिला स्तर पर कमेटी नियुक्त की जाकर आवेदन पत्र/प्रस्ताव आमंत्रित कर कमेटी द्वारा चयन किया जाता है।
2.	अधिकारियो को उक्त प्रशस्ति पत्र किसी एक कार्य के लिये दिया जाता है या वर्षभर के कार्य के लिये दिया जाता है।	कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे

२।।A।।
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई उक्त दोनो बिन्दुओ का उत्तर लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2016 को दिया जा चुका है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा को उनकी शाखा के रिकार्ड सहित पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

707-08
31/3/17

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर